# GOVERNMENT OF RAJASTHAN Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प 16(5)चिस्वा / 2 / 99pt

Jaipur, Dated: - 5 JUN 2013

#### NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the Rajasthan Sate Council for Clinical Establishments consisting of the following, namely:-

Talle Talle		-Chairman	
, 1.	Secretary Health-ex officio Director (Public Health) of Health Services- ex officio	-Member	· .
2.	Director (Public Health) of Health Services Charles	Secretary	
•	to re	-Member	
3.	Director of Ayurveda Department - ex officio	-Member	•
4.	Director of Homeopathic Department - ex officio	-Member	,
5.	Director of Unani Department - ex officio		
6.	One representative each to be elected by		
•	the Executive Committee of:	-Member	
	(i) Rajasthan Medical Council	-Member	:
•	(ii) Rajasthan Dental Council	-Member	•
	(iii)Rajasthan Nursing Council	-Member	
• -	(iv) Rajasthan Pharmacy Council	-ivicinoer	
7	One representative each to be elected by		
	the Executive Committee of:	Marie Land	· <b>,</b> -
	(i) Rajasthan Ayurveda, Council	-Member	
	(ii) Rajasthan Sidha, Council	-Member	
	(iii) Rajasthan Unani, Council	-Member	
•	(III) I CE   CE   CE   CE   CE   CE   CE   CE		

-Member

8. One representation to be elected by the State Council of the Indian Medical Association.

One representative from the line of paramedical systems nominated by the

-Member

State Government.

10. Two representatives from State level consumer group or reputed -Member non government organization working in the field of health nominated by the State Government.

Note: (i) The nominated member of the State council shall hold office for a term of three years, but shall be eligible for re-nomination for maximum of one more term of three years.

(ii) The elected member of the State Council shall hold office for three years but shall be eligible for re-election.

By order of the Governor,

(Alpa Chaudhary)

Deputy Secretary to the तिविध्य vernment चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन संचिवालय, राजस्थान, जयपुर

#### GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt

Jaipur, Dated:

- 5 JUN 2007

#### NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 10 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the District Registering Authority for each district consisting of the following, namely:-

1. District Collector

- Chairperson

2. Chief Medical & Health Officer

- Convener

3. Superintendent of Police or it's Representative not below Deputy Superintendent

- Member

4. One Member of Local Self Government

- Member

- Member

to be selected by Chief Medical and Health Officer

5. One Member Professional Association to be selected by Chief Medical and Health Officer

By order of the Governor,

(Alpa Chaudhary) Deputy Secretary to the

चिकित्सा सि रिविस्विस्प्रमाशुब्द-2) विभाग

शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

#### राजस्थान सरकार

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा / 2 / 99 pt

जयपुर, दिनांकः

5 JUN 2013

### अधिसूचना

जी.एस.आर.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राजस्थान राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् का इसके द्वारा गठन करती है, अर्थात् :—

	सचिव, स्वास्थ्य—पदेन	–अध्यक्ष	
1.	साचव, स्वास्थ्य-पर्प निदेशक (लोक स्वास्थ्य) स्वास्थ्य सेवाएं-पदेन	-सदस्य सचि	व
2.	निदेशक, आयुर्वेद विभाग-पदेन	–सदस्य	
3.	निदेशक, होम्योपैथिक विभाग-पदेन	-सदस्य	•
4.	निदेशक, यूनानी विभाग-पदेन	–सदस्य	
5.	निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित		
6.	किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :		
	(i) राजस्थान चिकित्सा परिषद्	–सदस्य	
	(ii) राज्य दन्त चिकित्सा परिषद्	–सदस्य	
	(iii) राजस्थान नर्स परिषद्	–सदस्य	
	(iv) राजस्थान भेष्रजी परिषद्	–सदस्य	
7.	निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित	_ <del></del> ;	
,.	किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :		
	(i) राजस्थान आर्युवेद परिषद्	सदस्य	
	(ii) राजस्थान सिद्ध परिषद्	–सदस्य	
· · · · se se se construire	(iii) सजस्यान स्वाम-महिन्	–सदस्य	
			The first section of the section of

 राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट परा-चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि

-सदस्य

10. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर—सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि

- The second second

-सदस्य

- टिप्पण :
- (i) राज्य परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा।
- (ii) राज्य परिषद् का निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुननिर्वाचन के लिये पात्र होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी) उप शासन सचिव शासन उप सचिव शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विमाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

### राजस्थीन सुरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विमाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा / 2 / 99**pt** 

जयपुर, दिनांकः - 5 JUN 2013

#### अधिसूचना

जी एस आर — नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की घारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की घारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (इए सज्य संरकार, निम्निलिखित से मिलंकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला हुए सज्य संरकार, निम्निलिखित से मिलंकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला हुए सज्य संरकार, निम्निलिखित से मिलंकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला हुए सज्य संरकार, निम्निलिखित से मिलंकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला हुए सज्य संरकार प्राधिकरण का इसके द्वारा, गठन करती है, अर्थात् —

	–अध्यक्ष
1.	जिला कलक्टर —— राष्ट्रिक
2.	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य आधकारा
3.	पुलिस अधीक्षक या उसकी प्रतिनिधि जो
	उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो -सदस्य
4.	स्थानीय स्वशासन का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा
	एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये -सदस्य
5.	वृत्तिक संगम का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं
	स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये —सदस्य

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी) उपास्मासन्त संविध्य उपास्मासन्त संविध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रंप-2) विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रंप-2) विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थान जयपुर जासन संचिवालय राजस्थान जयपुर



RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक Extraordinary साधिकार प्रकाशित Published by Authority

ज्येष्ठ १६, गुरुवार, शाके १९३५—जून ६, २०१३ Jyaistha 16, Thursday, Saka 1935-June 6, 2013

भाग 4 (भ) उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्भिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियमः। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

#### अधिस्चना

जयपुर, जून ६, २०13

जी.एस.आर. 16 :- नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियगन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्ये सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम वनाती है, अर्थात् :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम 2013 青月

(2)

- परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जय तक कि संदर्भ से 2. अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और (ফ) विनियंगन) अधिनियम् 2010 अभिप्रेत है:
  - "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं; (ख) (T)
  - "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,
  - "धारा" से अधिनियभ की धारा अभिप्रेत हैं।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित शहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये एथे शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।
- राज्य परिषद् के कारबार का संचालन (1) धारा 8 के अधीत गढिता राज्य परिपद्म की प्रत्येक बेठक की अध्यक्षता अध्यक्ष हारा की
- (2) राज्य परिषद् की बैठकें, ऐसी तारीखों पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जायं. सामान्यतः जयपुर में आयोजित की जायेगी। राज्य परिपद् तीन मास में कम से कम एक बार वैठक करेगी।

(3) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैद्धक के सात दिन पूर्व सदस्य सिंघव द्वारा राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(4) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन से अन्यून की अल्पतम सूचना पर राज्य परिषद् की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(5) राज्य परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और राज्य परिषद् की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(6) राज्य परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के 'रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

(7) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के सात दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी। यदि उनकी शुद्धता के बारे में दस दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो उसमें से किन्हीं भी विनिश्चयों को कार्यान्यत किया जायेगा।

4. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कारबार का संचालन.— (1) धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैठक के सात दिन पूर्व, संयोजक द्वारा प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(3) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन से अन्यून की अल्पतम सूचना पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(4) प्राधिकरण के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और प्राधिकरण की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(5) प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

(6) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के रात दिन के भीतर, संयोजक द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उरायं द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने के पश्चात्, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेंगी। यदि उनकी शुद्धता के वारे में दस्म दिन के भीतर कोई अशोग प्राप्त करी के हमारे के भिन्न की विनश्चयों को कार्यान्वित किया जायेगा।

5. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण.— (1) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, प्ररूप—1 में, धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जॉबेगा। (2) प्राधिकरण, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की कालाविच के मीतर प्ररूप-2 में अनंतिम रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक को अनुदत्त करेगा।

(3) प्राधिकरण, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के पैंतालीस दिन की कालाविध के भीतर, दो स्थानीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसप्रकार अनंतिम रूप से रिजस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां जिसमें नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धति, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स इत्यादि) के ब्यौरे सम्मिलत हैं, प्रकाशित करेगा।

6. स्थामी रजिस्ट्रीकरण.— (1) स्थामी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के प्राध्यम से. अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप—3 में, अव्यस्चिक जानकारी भर कर और नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रपर्गों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिकों की अपेक्षाएं रखने वाले साक्ष्य के साथ धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

- (2) जैसे ही नैदानिक स्थापन विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किये जाने के अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण तीस दिन की कालाविध के भीतर जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए, दो स्थानीय समाचार पत्रों में और प्राधिकरण की वेब साइट पर प्ररूप-4 में सूचना प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना में नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धित, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स, इत्यादि) के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।
- (3) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के संबंध में प्रकाशित सूचना पर कोई आक्षेप है तो वह प्राधिकरण को लिखित में कारण और आक्षेप ⊶या अननुपालन के साक्ष्य देगा।

(4) प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन को प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, पैतालीस दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर के लिए संसूचित करेगा।

7. सेवाओं के एक से अधिक प्रवर्ग के लिए आवेदन.— यदि नैदानिक स्थापन, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा—वर्गीकृत एक से अधिक प्रवर्ग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है तो यह नैदानिक स्थापन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक प्रवर्ग हो लिए गृहान का कि प्रवर्ग करेगा। तथापि, यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देख—रेख उपलब्ध करा रहे किसी नैदानिक केन्द्र का भाग है तो उसके लिए कोई पृथक रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

8. आवेदन की अभिस्वीकृति.— धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी, प्ररूप—5 में अभिस्वीकृति पर्ची में उसी दिन, यदि व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाये या अगले कार्य दिवस के अपश्चात्, यदि डाक द्वारा प्राप्त हो, अनंतिम/स्थायी रिजस्त्रीकरण अनुदत्त/नवीकरण करने के लिए आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद देगा और ऑनलाइन आवेदन की दशा में अभिस्वीकृति प्रणाली द्वारा स्वतः जनित की जायेगी।

9. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र.— (1) प्राधिकरण अपना यह समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन को चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिकों के उपबन्धों को सुम्मिशित करते हुए समस्त अपेक्षाओं और मानदण्डों का अनुपालन कर लिया है, आवेदक को या तो डाक से या इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप—6 में स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा ।

(2) रथायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में प्राधिकरण अधिनियम की धारा 29 ते

अधीन अनुद्रात कालावधि के भीतर.-

(क) स्थायी रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूर करने, या

(ख) आवेदन को नामंजूर करने: का आदेश पारित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आदेदन को नामंजूर करता है तो अपने न्यायोचित्यों और कारणों को अगिलिखित करेगा।

10. समाप्त रिजस्ट्रीकरण का प्रदर्शन.— प्राधिकरण, पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर उस नैदानिक स्थापन, जिसका अनंतिम या, यथास्थिति, रथायी रिजस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, का नाम दो स्थानीय समाचारपन्नों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

1. प्रभारित की जाने वाली फीस.— (1) अनंतिम और स्थायी रिटार्ट्रीकरण, नवीकरण, विलम्बित आवेदन, प्रभाणपत्र की दूसरी प्रति. रथापन के स्वामित्व, प्रबंध या नाम के परिवर्तन के लिए ऐसी विभिन्न फीरो प्रभारित की जायेंगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) सरकार (केन्द्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी) या सरकार के विभाग द्वार खामित्वाधीन, नियंत्रित और एवंथित नैदानिक खागन उप-नियम (1) . में यथा-वर्णित फीस के संदाय रो छट-प्राप्त होंगे।

(3) फील अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) या. यथारिथति, भारा 24 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट सम्बन्धित प्राधिकरण के पक्ष है आहि रिट

गांगचेंग ड्राफ्ट या आनलाइन संव्यवहार हारा सदत्त की लायेगी।

12. स्वामित्व या प्रबंध में परिवर्तन.— स्वामित्व वा प्रवंध के लिखा परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापन अनुसूची में चथा—चिनिर्विट कीर और प्रमाणपत्र के साथ, अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रिजस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए, ऐसे परिवर्तन के एक मास के

भोतर परिवर्तनों को सन्तिलित करते हुए, लिखिन में क्रिक्न में सूचित करेगा।

13. प्रमाणपत्रं की दूसरी प्रति.— अनंतिम या. यथास्थिति, स्थायी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या उसकी क्षति हो जाने की दशा में नैदानिक स्थापन, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

14. रिजस्ट्रीकरण का नवीकरण — (1) नैदानिक स्थापन, अनंतिम रिजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व अनंतिम रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि नियत कालाबिध के भीतर नवींकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट नवींकरण फीस और विलंब फीस के संदाय पर रिजस्ट्रीकरण के नवींकरण के लिए अनुज्ञात करेगा। (2) नैदानिक स्थापन, स्थायी रिजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता व. असमाप्ति से छह मास पूर्व स्थायी रिजस्ट्रीकरण के नवींकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस और विलंब फीस के संदाय पर रिजस्ट्रीकरण के नवींकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस और विलंब फीस के संदाय पर रिजस्ट्रीकरण के नवींकरण के लिए अनुज्ञात करेगा।

15. नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना.— (1) नैदानिक स्थापन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपचारित मरीजों के चिकित्सा अभिलेख और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और आंकड़े संधारित करेगा और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। संधारित किये जाने वाले न्यूनतम चिकित्सा अभिलेख और नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना की प्रकृति राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विकसित रूपविधानों के अनुसार होगी।

(2) समस्त अभिलेंखों और आंकड़ों की प्रतियां संबंधित नैदानिक स्थापनों द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए या किसी अन्य सुसंगत विधि के अनुसरण में रखी जायेंगी। समस्त नैदानिक स्थापन आपात या आपदा या मह्नामारी की स्थिति में सूचना या आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सिम्मिलित करते हुए सूचना की प्रकृति, जो नैदानिक स्थापनों द्वारा विहित अन्तराल पर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, सगय-सगय पर अधिसूचित कर सक्तेगी।

16. प्रवेश करने की शक्ति.— (1) नैदानिक रथापन में प्रवंश और उपनकी तलाशी प्राविकरण या उसके हारा राध्यक रूप से प्राधिकृत किसा अधिकारी या दल हारा या प्राधिकरण हारा जारी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए की जा सकेगी!

Contradition of the State of a

(2) नैदानिक स्थापनों में ऐसा प्रवेश और तलाशी ली जा सकेगी यदि कोई व्यक्ति रिजस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है या विहित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि नैदानिक स्थापन का उपयोग उन प्रयोजनों. जिनके लिए वह रिजस्ट्रीकृत है, से भिन्न के लिए किया जा रहा है या इस अधिनियम और नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो रहा है।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी या दल नैदानिक स्थापन को लिखित में निरीक्षण की तारीख और निरीक्षण के कारणों से सूचित करेगा और समस्त अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, नैदानिक स्थापन के लिए उपयोग में लिए जा रहे या उपयोग में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर का परीक्षण करेगा और उपस्करों, फर्नीचर और अन्य उपसाधनों का निरीक्षण करेगा और नियोजित या नियोजित किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द की वृत्तिक अर्हताओं की जांच करेगी और ऐसी कोई अन्य जांच करेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन में किये गये कथनों को सत्यापित करने के लिए ते आवश्यक समझे।

(4) निरीक्षण अधिकारी या, यथारिथति, निरीक्षण दल निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर, प्ररूप-8 में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो वह निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप-7 में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17. शास्ति.— अधिनियम के अधीन धनीय शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण जांच करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। कोई जांच करते समय प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी. व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय—वस्तु से सुसंगत हो, समन करेगा औं हो हाजिर करायेगा और यदि ऐसी जांच पर प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है और धनीय शास्ति का दायी है तो वह आदेश द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

18. अपीलें.-- (1) प्राधिकरण के.-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त या नवीकृत करने से इंग्फॉर करने का राजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसहरण करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य परिपद् को प्ररूप–8 में अपील फाइल कर सकेगा। गेर्ड

ইর্ন

भभ 4 (म) राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013

27(7)

(ii) धास 41 या 42 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट फीस के साथ उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप—8 में कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अपील प्राप्त होने के पश्चात् राज्य परिषद् सुनवाई के लिए समय और तारीख नियत करेगी और मामले की सुनवाई के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का समय देते हुए रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सुचित करेगी।

(3) अपीलार्थी स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति या किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा और अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजी सामुग्री, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) राज्य परिषद् समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुनेगी. उनके द्वारा प्रस्तुत सुसंगत मौखिक / दस्तावेजी साक्ष्य ग्रहण करेगी, अपील पर विचार करेगी और अधिमानतः अपील फाइल करने की तारीख से 90 दिन के भीतर अपने विनिश्चय रो संसूचित करेगी।

(5) यदि राज्य परिषद् का यह विचार है कि मामले में कोई अंतरिंग आदेश आवश्यक है तो वह अपील के अंतिम निस्तारण के लंबित रहते हुए एसा आवश्यक पारित कर सकेंगी।

(6) राज्य परिषद् के विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होंगे।

#### प्ररूप--1 (नियम 5 देखिए) नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

<ol> <li>स्थापन/डॉक्टर का नाम (एक</li> </ol>	ल व्यवसायी की दशा में)
2. प्रता :	
गांव / नगर :	
तालुका :	जिला
	पिन कोड :
	साथ) : मोबाइल :
). स्वामी का नाम :	
पता :	
गांव/नगर :	
	to a set of the contract of th

27(8). राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 भाग 4 (र
तालुका :जिला :
राज्य : पिन कोड :
ं दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : ई—मेल पता :
3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाम और अर्हताएं : 4. स्वामित्व
(क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्यं सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपय विनिर्दिष्ट करें) :  (ख) प्राइवेट सेक्टर : ☐ व्यक्तिगत स्वामित्व ☐ रिजस्ट्रीकृत भागीदारी ☐ राजस्ट्रीकृत कम्पनी ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास ☐ पूर्त ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :  5. औषध की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागू हो उत्त पर चिहन लगाए) : ☐ रेलोपेथी ☐ आयुर्वेद ☐ यूनानी ☐ सिद्ध ☐ होम्योपेथी ☐ योग और प्राकृतिक चिकित्सा  6.उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हो जस पर चिहन लगाए)
☐ अंतरंग रोगी ☐ बाह्य रोगी ☐ प्रयोगशाला ☐ इमेजिंग केन्द्र ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें ) : (क) नैदानिक सेवाओं का प्रवर्ग : ☐ सामान्य ☐ एकल विशेषता ☐
बहु विशवता 🗋 सुपर विशेषता 7. स्थापन का प्रकार : जो लाग हो सस पर जिस्स स्थापी
(क) अंतरंग रोगी : ☐ अस्पताल ☐ परिचर्या गृह ☐ प्रसूति गृह ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ ﴾ सेनिटोरियम ☐ डे केयर सेन्टर (ख) बिस्तरों की संख्या :
(ग) बाह्य रोगी : ☐ एकल व्यवसायी ☐ पॉलीक्लिनिक ☐ उप–केन्द्र ☐ फिजियांथेरेपी क्लिनिक ☐ व्यावसायिक चिकित्सा ☐ बाँझपन क्लिनिक ☐ दन्त क्लिनिक ☐ औषधालय ☐ डायलिसिस केन्द्र
☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ————————————————————————————————————
केन्द्र 🛘 अन्य कोई (कृषया विनिर्दिष्ट करें) :
(ङ) इमेजिंग केन्द्र : कृपया विनिर्दिष्ट करें :

MIG 4 (77)				
<u></u> , 7 (1)	せいけんだい	X 1		~~.~
भागं 4 (ग)		<u> </u>	. 41. 0.	Zuis
	•			

27(9)

विशेष निदान : कृपया विनिर्दिष्ट करें :

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा।

दिनांक और स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्र<del>रूप</del>-2 (नियम 5 देखिए)

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र

अनंतिम प्रमाणपत्र सं. : (कम्प्यूटर जनित) जारी करने की तारीख : (कम्प्यूटर जनित)

	तक गान्य : (कंग्प्यूटर जनित
1.	नैदानिक स्थापन का नाम :
2.	पता :
<b>3</b> .	नैदानिक स्थापन का स्वामी :
4.	भारसाधक व्यक्ति का नामं :
5.	औषध की पद्धति :
6.	स्थापन का प्रकार :

को, नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन इसके द्वारा, अनंतिम रूप से रिजस्ट्रीकृत किया जाता है। यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

> जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम (कम्प्यूटर जनित) स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित)

	प्ररूप-3	٠.
	(नियम ६ देखिए)	
	<b>ाँ</b> के स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	प्ररूप ं
	' सं. :	······································
नंतिम रजिस्ट्रीकरण	जारी करने की दिनांक :	
<del></del>	तक	विधिमान
		· 🛕
	टर का नाम (एकल व्यवसायी की दशा में) :	
2. पताः		·
गांव/नगर _		
तालका :	———	
	101011:	
	•	
्रराज्यः	पिन कोड :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस	पिन कोड : ाटीडी कोड के साथ) : मोबाइल :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस	पिन कोड :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि	पिन कोड : ाटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम :	पिन कोड : ाटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता :	पिन कोड : ाटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) :	<del></del>
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर :	पिन कोड : ाटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) :	
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर : तालुका :		
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर : तालुका : राज्य :	(पिन कोड : गटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) : जिला : पिन कोड :	
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर : तालुका : राज्य :		
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि 3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर : तालुका : राज्य :	(पिन कोड : गटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) : जिला : पिन कोड :	
राज्य : दूरभाष सं. (एस वेबसाइट (यदि  3. स्वामी का नाम : पता : गांव / नगर : तालुका : राज्य : रूरभाष सं. (एसर्ट ई-मेल पता :	(पिन कोड : गटीडी कोड के साथ) : मोबाइल : कोई हो) : जिला : पिन कोड :	

44.1 4 (.1) chalcat.1 (401-43) 2(.1 0' 50.12
करें) :
(ख) प्राइवेट सेक्टर : 🛮 व्यक्तिगत स्वामित्व 🗖
रजिस्ट्रीकृत भागीदारी 🛮 रजिस्ट्रीकृत कम्पनी 🗖
सहकारी सोसाइटी 🛘 न्यास/पूर्त 🗖 अन्य कोई
(कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
5. औषध् की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागूं हों उस पर चिहन
लगाए) :
🛘 ऐलोपैथी 🗘 आयुर्वेद 🗘 यूनानी 🗘 सिद्ध 🗖
होम्बोपेथी 🔲 योग और प्राकृतिक चिकित्सा
💂 6. उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हो उस पर चिहन
े लगाए)
<ul> <li>अंतरंग रोगी    बाह्य रोगी    प्रयोगशाला / इमेजिंग</li> </ul>
केन्द्र 🗖 कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें ) : (क)     नैदानिक :सेवाओं का प्रवर्ग : 🔲 सामान्य 🗖
(क) नदानक संवासी का प्रवंग : 🗀 सामान्य 📙 एकल विशेषता 🗖 बहु विशेषता 🗖 सुपर विशेषता
7. स्थापन का प्रकार : (जो लागू हो उस पर चिहन लगाए)
(क) अंतरंग रोगी : 🗖 अस्पताल 🗖 परिचर्या गृह 🗍
प्रसूति गृह 🛭 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 🗖
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 🗌 सेनेटोरियम 🗖 डे
केयर सेन्टर (ख)     बिस्तरों की संख्या :
(ग) बाह्य रोगी : 🗍 एकल व्यवसायी 🗍 पॉलीविलनिक 🗍 उप—केन्द्र 🖟 फिजियोथैरेपी
विलनिक 🗍 व्यावसायिक चिकित्सा 🗍 बाँझपन
विलनिक 🔲 दन्त विलनिक 🗍 औषधालय 🗇
डायलिसिस केन्द्र 🗍 अन्य कोई (कृपया
विनिर्दिष्ट करें) :
(घ) प्रयोगशाला : 🗖 विकृति विज्ञान 🗖 रूधिर
विज्ञान 🔲 जैव रसायन विज्ञान 🗍
सूक्ष्म-जीवविज्ञान 🔲 आनुवंशिकी 🗍 संग्रहण
कन्द्र 🛘 अन्य काइ (कृपया विनिदिष्ट कर)
(ङ) इमेजिंग केन्द्र : कृपया विनिर्दिष्ट करें :
विशंष निदान : कृपया दिनिर्दिष्ट करें :

राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013

भाग 4 (ए)

में इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तग जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा। विस्तृत सूचना :— अनंतिम रिजस्ट्रीकरण जारी करने के पश्चात् निरीक्षण दल द्वारा कोई शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट।

संलग्न : अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की फोटो प्रति

<sup>-ं</sup>दिगांक और स्था<del>न</del> :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-4 (नियम 6 देखिए)

सूचना

आक्षेप फाइल करने के लिए रिजस्ट्रीकरण प्रारिथित का संप्रदर्शन

	PI			751174	०. १थापच 🕕	(おかなど)むく	4 3118
विनिय	ामन) अधि	नियम, 20	10 के र	अधीन प्रा	धिकारी होते	हुए, धारा	24 के
					तक की क		
प्राप्त -	आवेदनों प	र विचार व	करने के	पश्चात्.	नैदानिक स्थ	गपन (रजिर	ट्रीकरण
					ादधीन बने		
					मन) नियम,		
					ले की अधि		
					शित करता		*****
					दिनांक		और
	थापन का	,,			जिसको -		1
	राग और				आवेदन		गरे:
	ici:				प्रस्तुत	मान्द	
			•		्किया संध	•	:
•	!		;	:			
	•			•			
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***		<del></del> •		-
							<del></del>
			+				
	:				•		

उपर्युक्त सूची के सम्बन्ध में आक्षेप यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 26 के अधीन यथा—अपेक्षित इस सूचना की तारीख से 30 दिन के गीरार

.: लि सम

स्थ दिः

... स्थ शि

या

अ पा

नः

र्रा प्र

₹-(?

₹

राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013 27(13) लिखित में दो <del>प्रतियों</del> में..........(प्राधिकारी का पता) ......को सम्बोधित किये जा सकेंगे। स्थान : हस्ताक्षर : दिनांक : 'नाम : (प्राधिकारी की मुहर) (नियम ८ देखिए) अभिस्वीकृति नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक .....को.....को.... ......(स्वामी का नाम और पता) .....हारा प्रस्तुत नैदानिक रथापन अनुदत्त करने/अनंतिम /स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के तिए प्ररूप.....में आवेदन प्राप्त किया गया तथा ប្បារ या अपूर्ण पाया गया। यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्तं करने या नावीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित) मुहर स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित) ३--एल्इ (नियम 6 देखिए) नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थायी प्रमाणपत्र स्थायी रजिस्ट्रीकरण सं. : (कम्प्यूटर जनित) जारी करने की तारीख : (कम्प्टूटर जनित)

तक विधियान्यः (कम्प्यूटर जनित)

<u>7(14)</u>	राजस्थान राज-पत्र, जून ६, २०१३ भाग ४ (ग)
1.	नैदानिक स्थापन का नाम :
· 2	पता :
<b>3</b> ., ,	नैदानिक स्थापन का स्वामी :
4.	भारसाधक व्यक्ति का नाम :
<b>5.</b>	औषध की पद्धति :
को, नै और उ रूप से यह ! अधिनि	स्थापन का प्रकार :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम (कम्प्यूटर जनित) महर

स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पता: शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

#### प्ररूप—7 (नियम 16 देखिए) निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये रूपविधान

तारीखों के साथ किये गये निरीक्षणों की संख्या निरीक्षण दल के रादस्यों के नाम और व्योरे निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का नाम निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का पता और संपर्क व्योरे निरीक्षण के लिये अनुसरण की गयी प्रक्रिया (वथा कृपया वतायें किरमके साण निर्माण की गयी प्रक्रिया (वथा कृपया वतायें किरमके साण निर्माण की गयी प्रक्रिया (वथा कृपया वतायें किरमके प्रमुख संप्रेक्षण / जांच परिणाम निष्कर्ष विनिर्दिष्ट सिफारिशें:

- (1) नैदानिक स्थापन को
- (2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को

<u>(T)</u> \* निरीक्षण दल के सदस्यों के बीच मतैक्य की कमी की दशा में, कृपया इसे उपदर्शित करें। हस्ताक्षर • (निरीक्षण दल में समस्त सदस्यों के) दिनांक : गयी स्थान : 8--मलप (नियमं 18 देखिए) अपील के लिए आवेदन सेवागें. राज्य परिषद, .....सरकार नहोदय, मैं, डॉ.....ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन मेरे......स्थित..... के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया था/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं. .....का धारक हूं। मुझे जिला प्राधिकारी के पत्र सं......दिनांक..... के द्वारा स्चित किया गया था कि : कि मेरा आवेदन अरवीकृत कर दिया गया है; या (i) कि मेरा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया. है; या (ii)**ی** कि मुझे नैदानिक स्थापन के चलाये जाने से अवरूदा कर विदा (iii) यया है: या कि मुझे अधिनियम के अधीन अपराध के लिये शास्ति हैं आसीविन (iv) कियाँ गया है; या अन्य कोई..... जिला प्राधिकरण का उपरोक्त विनिश्चय विधिमान्य प्रतीत नही होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नीचे वर्णित नगयोचित्यों के अनुसार मेरे आवेदन पर विचार किया जाये: ..... 

010

4ㅋ)

के ਰ)

मैं व्यक्तिगत सुन्वाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिये रजामन्द हूं। मैं इसके साथ रू. 5000/- का छ्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं।

स्थान : दिनांक :

धन्यवाद, हस्ताक्षर: नाम :

#### अनुसूची (नियम 11 देखिए) प्रभारित की जाने वाली फीस

•						
विवरण	नगरीय		ग्रामीण		गहानगर /	
•	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	ा रथायी
बाह्य रोगी देखरेख अंतरंग रोगी देखरेख	. 100	500	50	250	200	1000
1 से 30 दिस्तर	100	50Ç	50	250	200	1000
30 से 100 बिस्तर	200	1000	100	500	400	2000
100 बिरतरों से अधिक	300	1500	150	650	G00	3000
जांच और निदान			-			-
प्रयोगशाला	200	1000	100	500	400	2000
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	300	1500	150	650	600	3000
अन्य फीसें :					•	

- नवीकरण के लिए रजिस्ट्रींकरण फीस की रकम का आधा 🛌 (i) (अनंतिम / स्थायी)
- विलम्बित आवेदन के लिए नवीकरण फीस के साथ एजिस्ट्रीकरण (ii) (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 100/ - रुपयं प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।
- प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपरं होंगी। (iii)
- स्थापन के स्वामित्व एका भीर नाम के परिवर्तन के नित्र राज्य (iv) 100/- रुपये होगी।
- अन्य अपील के लिए रकम 5000 / रूपमे होगी। (v)

टिप्पणः यदि प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

> [ संख्या प.16(5)चिस्वा / 2 / 99pt] राज्यपाल के आदेश से, अल्पा चौधरी, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुंप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जंयपुर।

## Department of Medical & Health (Group-2) Department NOTIFICATION

Jaipur, June 5, 2013

G.S.R. 16. In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act. 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force with immediate effect.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010;
  - (b) "Form" means form appended to these rules;
  - (c) "Schedule" means Schedule appended to these rules; and
  - (d) "Section" means section of the Act.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act. shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Conduct of business of State Council.- (1) Every meeting of the State Council, constituted under section 8. shall be presided over by the Chairman.
- (2) The meetings of the State Council shall ordinarily be held at Jaipur on such dates as may be fixed by the Chairman. The State Council shall meet at least once in three months.

(3) The notice and agenda of every meeting of the State Council shall be circulated by the Member Secretary to each member of the State Council ordinarily seven days before the meeting:

(4) The Chairman may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the State Council at the shortest notice,

normally not less than three days.

(5) One-third of the total number of members of the State Council shall form a quorum and all actions of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(6) The proceedings of the meetings of the State Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by

the Chairman.

- (7) A copy the minutes of each meeting of the State Council shall be submitted to the Chairman within seven days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the State Council within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.
- 4. Conduct of business of District Registering Authority.
  (1) Every meeting of the Authority, constituted under section 10, shall be presided over by the Chairperson.
- (2) The notice and agenda of every meeting of the Authority shall be circulated by the Convener to each member of the Authority ordinarily seven days before the meeting.
- (3) The Chairperson may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the Authority at the shortest notice, normally not less than three days.
- (4) One-third of the total number of members of the Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.
- (5) The proceedings of the meetings of the Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairperson.
- (6) A copy the minutes of each meeting of the Authority shall be submitted to the Chairperson by the Convener within seven days of the meeting and after having been altested by him shall be sent to each member of the Authority within lifteen days of the meeting. It no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.
- 5. Provisional registration.- (1) The application for provisional registration shall be made to the Authority, constituted

under section 10, in Form-1 along with the fee specified in Schedule, either in person or by post or through web based unline facility.

(2) The Authority shall not undertake any enquiry prior to the grant of provisional registration and shall within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a

certificate of provisional registration in Form-2.

(3) The Authority shall, within a period of forty-five days from the grant of provisional registration, publish, in two local newspapers and on the website of the Authority, all particulars of clinical establishment, so registered provisionally, including the name of the clinical establishment, address, ownership, name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered and details of the medical stuff (Doctors, Nurses, etc.)

6. Permanent Registration.- (1) The application for permanent registration shall be made to the Authority, constituted under section 10, in Form-3 along with the fee specified in Schedule, either in person or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having the requirements of minimum standards and personnel for

di Fierent categories of clinical establishments.

- (2) As soon as the clinical establishment submits the required evidence of having complied with the prescribed minimum standards, the Authority shall publish notice, in Form-4, in two local newspapers and on the website of the Authority, inviting objection from public at large within a period of thirty days. Such notice shall contain all particulars of clinical establishment including the name of the clinical establishment, address. Ownership, name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered, details of the medical staff (100-stors, Nurses, etc).
- (3) If any person has any objection to the information published regarding the clinical establishment, he shall give in writing the reasons and evidence of objection or non-compliance to the Authority.
- (4) The Authority shall communicate to the clinical establishment the objections received, if any, for response within a period of torty rive days.
- 7. Application for more than one category of services,if a clinical establishment is offering services in more than one category as classified by the Central Government under sub-

section (1) of section 13 of the Act, it shall apply for a separate provisional or permanent registration for each category of services offered by the clinical establishment. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of clinical establishment providing outpatient / inpatient care, no separate registration shall be required.

- 8. Acknowledgement of Application.— The Authority, constituted under section 10, or any officer/employee authorised by him, shall, acknowledge receipt of the application for grant/renewal of Provisional/Permanent registration, in the acknowledgement slip in Form-5, same day if submitted in person or not later than the next working day, if received by post and in case of online application, acknowledgement shall be generated automatically by the system.
- 9. Certificate of registration.—(1) The Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration in Form-6 either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria including provisions of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment.
- (2) In case of permanent registration, the Authority shall pass an order within the period allowed under section 29 of the Act,-
  - (a) allowing the application for permanent registration; or
  - (b) disallowing the application:
- Provided that the authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.
- 10. Display of expired registration.— The Authority shall, within a period of fifteen days shall publish in two local newspapers and on the website of the Authority, the name de the clinical establishment whose Provisional or Permanent registration, as the case may be, has expired.
- 11. Fees to be charged.- (1) The various fees for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment shall be charged as specified in Schedule.
- (2) The clinical establishments owned, controlled and managed by the Government (Central, State or Local Authority) or Department of Government, shall be exempted from payment of fees as mentioned in sub-rule (1).
- (3) The fee shall be paid by a demand draft drawn online

**(T)** 

rate

of a

ent

ıali

ťÝ.

ed

Òr

36

1

n

đ

transaction in favour of the Anthority concerned as specified under sub-section (1) of section 14 or section 24 of the Act, as the case may be.

12. Change of ownership or management. In the event of any change of ownership or management, the clinical establishment shall intimate to the Authority in writing within one month of such change along with the fees as specified in Schedule and certificate, for grant of a revised certificate of Provisional or Permanent registration, as the case may be, incorporating the changes.

13. Duplicate certificate.— In the event of certificate of registration Provisional or Permanent, as the case may be, being flost, destroyed, mutilated or damaged, the clinical establishment shall apply to the Authority to issue a duplicate certificate upon

payment of fees as specified in Schedule.

14. Renewal of Registration.— (1) The clinical establishment shall apply for renewal of provisional registration thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal fee and late fee as specified in Schedule.

(2) The clinical establishment shall apply for renewal of permanent: registration six months before the expiry of the validity of the certificate of permanent registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal

fee and late fee as specified in Schedule.

Establishments.- (1) The clinical establishments shall maintain medical records of patients treated by it and health information and statistics in respect of national programmes and furnish the same to the Authorities. The minimum medical records to be maintained and nature of information to be provided by the clinical establishments shall be as per the formats developed by the National Council.

establishment concerned at least for three years or in accordance with any other relevant law. All clinical establishments shall be responsible for submission of information and statistics in the time of emergency or disaster or epidemic situation.

(3) The Government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the clinical establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval.

16. Power to Enter.- (1) Entry and search of the clinical establishment may be made by the Authority or an officer or team duly authorised by it or subject to such general or special orders. issued by the Authority.

(2) Such entry and search of clinical establishments may be made, if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe that the clinical establishment is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Act and rules.

(3) The Authority or an officer or team duly authorised by it shall intimate the clinical establishment in writing about the date of visit and reasons for the inspection and shall examine all record, register, document, premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for grant of certificate of registration.

(4) The inspecting officer or inspecting team, as the case may be, shall submit its report in Form-8, within a period of seven days of inspection, to the Authority, with a copy to the State Council. In case the inspection is made by the Authority, it shall submit inspection report within a period of seven days of inspection, to the State Council in Form-7.

17. Penalty.- For the purpose of adjudging monetary penalty under the Act, the Authority shall hold an inquiry and provide opportunity of being heard. While holding an inquiry the Authority shall summon and enforce the attendance of any person acquainted with the fact and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, the Authority is satisfied that the person has failed to comply with the provisions of the Act and liable for monetary penalty, it may by order impose the monetary penalty specified in the Act.

J

नाम ४ (म) - राजिस्थान राज-५३, जून ठ, 2013

27(23

18. Appeals.- (1) Any person, aggrieved by an order of the Authority.-

- (i) refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking a certificate of registration, may file an appeal in Form-8 to the State Council within thirty days from the date of receipt of such order along with a fee as specified in Schedule.
- (ii) passed under section 41 or 42, may file an appeal in Form-8 to the State Council within a period specified in the said section along with a fee as specified in Schedule.
- (2) After receipt of the appeal, the State Council shall fix the time and date for hearing and inform the same to the appellant and other concerned by a registered letter giving at least fifteen days time for hearing of the case.

(3) The appellant may represent by himself or authorised person or a Legal practitioner and submit the relevant documentary material if any in support of the appeal.

(4) The State Council shall hear all the concerned, receive the relevant oral/documentary evidence submitted by them, consider the appeal and communicate its decision preferably within 90 days from the date of filing the appeals

(5) If the State Council considers that an interim order is necessary in the matter, it may pass such order, pending final disposal of the appeal.

(6) The decisions of State Council shall be final and binding.

Form -1 (See rule 5)

(See rule 5)

Application Form	for Provisional Registration of Clinical Establishments

) . Name of the Establishmen Practitioner):	t/ Doctor (in case of single
	The statement of the st
Address:	
Village/lown:	·
Faloka:	District:
State:	Pin code
Tel No (with STD code):	Mobile:

27(24)	राजस्थान राज-	पत्र, जून ६, 2013	भाग 4 (ग)
Website (if any	):·		•
3. Name of the	owner:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Village/Town:		•	<del> </del>
Taluka:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	District:	
State:	•	_ Pin code	
Tel No (with ST Email ID:	D code):	Mobile:	
		Qualifications:	
4. Ownership			* *
governmer Undertakin (b) Private, Sec Partnership Society	nt	ral government vernment   Pub please specify):  Proprietorship   Company   Co table   any oth	Registered
3. Systems of Mapplicable): Allopathy Homeopathy 6. Services Provident Centre any oth (a) Category of	Iedicine offered:  Ayurveda  Yoga &  Naturo ed: (please tick w Outpatient  L er (please specify): f Clinical Servic Multi Specialty	hichever is applica aboratory   es: General   Super Specialt	iddha  ble)  Imaging  Single
(a) <u>Inpatient:</u> [doins   D Primary  [] Sanatorium [] I  (b) Number of Beds	· Health Centre 🗇 Day Care centre		

•

.

... ..

Andrew Art of the

27(26)

Address:

राजस्थान राज-पन जून ६ २०१३

is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

> Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generaled)

Place & Date: (Computer Generated) District Registration Authority

Phone number in case of Grievances

Form -3 (See rule 6)

#### Application Form for Permanent Registration of Clinical Establishments

Provisional Registration No Date of issue of Provisional   Valid up to:	Registration:
1. Name of the Establishme practitioner	nt: / Doctor (in case of single
2.Address:	
Village/Town:	
Taluka:	District:
State:	District.
Tel No (with STD code):	Pin code
Website (if any):	Mohite
3. Name of the owner:	
Address:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

7)	गंग ५ (गं) गंजकांग्न गंज-पत्र जून ६ २०१३ 27(27)
of	Village/Town:
٠.	Taluka: District:
10	State: Pin code
	Tel No (with STD code): Mobile:
he	Email ID:
	3a) Name of Person in charge and Qualifications:
ıd	4. Ownership
	a) Public Sector:  Central government  State government
	Local government  Public Sector Undertaking  Any other
	(please specify):
	b) Private Sector  Individual Proprietorship  Registered
6	Partnership□ Registered Company □ Co-operative Society □
ク	Tract/Charitable Any other (please specify);
. 1	5. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is
1	applicable)
- [	Allopathy Avurveda Unani Siddha Homeopathy
- 1	☐ Yoga & Naturopathy
Ĭ }	6. Services Provided: (please tick whichever is applicable)
	☐ Inpatient ☐ Outpatient ☐ Laboratory / Imaging Centre☐ Any Other (please specify):
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- 1	24) Category of Clinical Services:  General  Single Specialty
	Multi Specialty Super Specialty
	7. Type of Establishment:(please tick whichever is applicable)
ţ	inpatient:  Hospital Nursing Home  Maternity Home
į	Primary Health Centre Community Health Centre
<i>:</i>	Sanatorium Day Care centre  b) Number of Beds:
ì	e) Outpatient:  Single practitioner  Polyclinic  Sub-Centre
4	Physiotherapy Clinic  Occupational Therapy  Infertility
ļ	Climic  Dental clinic  Dispensary  Dialysis Centre  Any
	other (please specify):
	1) Laboratory:  Pathology  Haematology  Biochemistry
L,	Microbiology  Genetics Collection Centre  Any other
,	pterise specify):
•	Adams of the second of the second
	2 <u>Fraging Centre:</u> please precify:
S	pocial diagnostics: Please specify:
~	result angles of the specific

भाग् ४ (गः)

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010. I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Detail information:-Any complain and adverse report by inspection team after issue of Provisional Registration.

Enclosed: Photo copy of Provisional Registration.

Date & Place:

Signature of the Authorized Signatory

Form -4 (See rule 6) Notice

Display of registration stillus for filing objections

Est Cla maç	ablishments (1 nical Establish Ic theirunder, h	Registration & Regu ments (Registration pereby publish the list	llation) Act. & Regulatio Fof Clinical I	n) Rules, 2013
	me jurisaret	ion of		
ser <u>i.</u> 10.	of Name of Clinical Establishme at with	Ownership System o In charge medicine	Avhich application was	standards complied with
seri. 110.	of Name of Clinical Establishme at with address	/ In charge  medicine	which application was submitted	standards complied with

भाग 4 (ग) राजस्थान राज- न्य, जुला ६, २०१३ : 27/29:

(address of the authority) within 30 days, from the date of this rotice, as required under section 26 of the Act.

Place:

Signature:
Name:
(Seal of the authority)

Form -5 (See rule 8)

### ACKNOWLEDGEMENT REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

The application in Form Provisional / Permanent Establishment submitted	registration of the Clinical
(Name and address of Owner)	) has been received by the District (date) and found

Complete -

Qr

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generaled, SEA).

Place & Date: (Computer Generated)

Form -6

PERMANENT CERTIFICATE
FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Mar. 4 (42)

A.	A	
Permanent Registration No: (Ca Date of issue: (Computer Gen	mputer Generated)	•
Valid up to: (Computer General	rciteds	
<ol> <li>Name of the Clinical Establis</li> <li>Address:</li> </ol>	<del></del>	- <del></del>
3. Owner of the Clinical Establish	shment:	
4. Name of Person in Charge:		·
5. System of Medicine:		
6. Type of Establishment:		
is hereby permanently registration and Rules made there under,	stered under the Regulation) 'Act. 20	Clinical 10 and the
This authorization is subject to the ules in force under the Clinical Est egulation) Act. 2010 and the Rule	tablishments /Revier	fied in the ration and

Designation & Signature of the Issuing Authority (Computer Generated) SEAL

Place & Date: (Computer Generaled)
District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances Form -7 (See rule 16)

#### Format for Submission of Inspection Report

Number of visits made with dates

Names and details of members of the inspection team

Name of clinical establishment visited

Address and contact details of clinical establishment visited

Process followed for inspection (e.g. kindly outline who was met with, what records were examined, etc.)

cal he he nd

(4)

भाग 4 (ग) राज्यथान राज-पत्र, जून 6, 2013 27(3) Salient Observations / Findings Conclusions

Specific Recommendations:

- (1) To the Clinical Establishment
- (2) To the District Registering Authority

\*In case of lack of consensus amongst members of the inspection team, the same may be kindly indicated

Signature
(of all members of the inspection team)

Date : Place:

> Form -8 (See rule 18) Application for Appeal

Te	<b>,</b>
Th	e State Council.
Go	vernment of
Sir.	
regi	Or had applied to stration / holder of registration certificate number
unde	er the Clinical Establishments (Registration and Regulation)
Act.	2010. for my located
l was	s communicated by the district authority as per letter no.  that either:
	That my application was rejected

ii) That my registration is cancelled

27(32)	राजस्थान राज-पत्र, जून ६, २०१३ <u>भागः ४ (ग)</u>
iii) That	am restruined from carrying on with the running o
cl	inical establishment
iv) That l	am charged with a penalty for an offence under the
Ac	<b>:t</b>
v) Any o	her
The above dec	ision of the district authority appears to be not valid.
I request you	to consider my application as per the justifications
mentioned belo	ow:
i)	
ii)	
iii)	
I am willing t	o appear before you for a personal hearing, if
necessary. I am	enclosing herewith a draft of Rs. 5000/-
Thanking you,	
Place:	Signature:
Date:	Name:
• .	

# SCHEDULE (See rule 11)

vend Pernta
01:111 FeF1112
100
100
2 <i>0</i> ¢
300
,
201
. 300

iv) Tha v) Any The above de	iii) That I am restrained from carrying on with the clinical establishment iv) That I am charged with a penalty for an offence Act v) Any other					
mentioned bel	low;	justifications				
iii)						
S 10	nclosing herewith a drag care	hearmg, if				
Place;	•					
Date:	Sign	nature:				
	Na	ime:				

# SCHEDULE (See rule 11)

į	Desc -ip	tion	Urban	Fees to be Charged				
Maria Maria	Out To a factor of the factor	Patient Patient	Provisional 100 100 200		<i>U</i>	250 250 250 500	Metro Provision 200 200 400	1000 1000 1000 2000
, 	Above 100 Testing Diagnostic: aboratories	æ	200	1000	- W	650	600	3000
1)	ingnosti,-	K	200	1500	100 150	500 650	400 6 <b>00</b>	2000 3000

गाग 4 (ग) - एजस्थान राज-पत्र, जुन 6, 2013.

27(33)

Imaging Centre

#### Other Fees:

(i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)

(ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 100/per day late fee upto the date of filling application for
renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall
be charged.

(iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 200/4.

(iv) For change of ownership, management or name of establishment, the amount shall be Rs. 100/.

(v) For any appeal the amount shall be Rs. 5000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

|No प. .16 (5) चिस्वा /2/99 Pt.| By Order of the Governor, अल्पा चौधरी, Deputy Secretary to the Government,

Government Central Press, Jaipur.